



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक... 04.03.2025

- ❖ अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये जा रहे अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली सफलता।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस की कार्यवाही से मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 से संबन्धित 02 नफर वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- ❖ जनपद में अभियुक्त नईम पर आधा दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम में वाँछित अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र महमूद निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 45 वर्ष 2. मिस्टर अली पुत्र मुन्नू शाह निवासी ग्राम सुखसौरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 56 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.03.2025 को समय 10.30 बजे रेलवे क्रासिंग घाटमपुर मूसानगर रोड पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज पुल के पास थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. नईम पुत्र महमूद निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 45 वर्ष
2. मिस्टर अली पुत्र मुन्नू शाह निवासी ग्राम सुखसौरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 56 वर्ष

अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 415/2018 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

2. मु0अ0सं0 371/2021 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 359/2021 धारा 13जी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 344/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 192/2023 धारा 5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. चौकी प्रभारी देवीपुर उ0नि0 श्री रामकिशुन वर्मा।
2. हे0का0 71 अवधेश कुमार।
3. कां0 970 राहुल कुमार।